पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 13 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 24–02–2023

दिनांक 23/24–02–2023 को रात्रि थाना बी0बी0डी0 02, चिनहट 01, हजरतगंज 01, गोमतीनगर विस्तार 01, मड़ियांव 02, पीजीआई 02, सरोजनीनगर 01, सुशान्त गोल्फ सिटी 01, तालकटोरा 01, वजीरगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 13 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना महानगर–(मारपीट) दिनांक 24–02–2023 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राकेश सिंह पुत्र स्व0 डा0 राम प्रसाद सिंह चौहान निवासी गोमतीनगर विशाल खण्ड–1 थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना महानगर पर सूचना दिया कि वादी की मेडिकल स्टोर जय सुभाष के नाम से निशातगंज पहली गली में स्थित है। वही पर दुकान लगाने वाले जब्बार के लड़के सिकन्दर, गुड्डू, यासीन, बब्लू, सलमान, आमिर, आसिफ, और अन्य लोग जो उसी मोहल्ले के रहने वाले है, दिनांक 22–02–2023 को समय करीब 08.30 बजे रात में अचानक एकाएक सब लोग मिलकर लोहे की रॉड व हथौडे से वादी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिये, जिस कारण वादी के सिर व हाथ, पैर में काफी गम्भीर चोटें आयी है। तभी वहां आस पास के लोग के आ जाने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। **इस सूचना पर थाना महानगर पर मु0अ0सं0 38/2023 धारा 147/352/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।**

थाना नगराम–दिनांक 24–02–2023 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि वादी श्री घसीटे पुत्र स्व0 टिकई निवासी ग्राम समेसी थाना नगराम लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि वादी की पुत्री सरोजनी उम्र करीब 20 वर्ष जिसका गांव के ही अंकुल पुत्र नन्दलाल के साथ बीते 03 वर्षो से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अंकुल द्वारा वादी की पुत्री को शादी का झांसा दिया जा रहा था, वादी को जब यह बात पता चली तो दिनांक 18–02–2023 को वादी विपक्षी के घर अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर गया तो विपक्षी अंकुल व उसके पिता नन्दलाल व भाई राहुल एवं अंकुल के चाचा अनुज के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर तथा गाली गलौज करते हुए वादी को भगा दिया। यह बात जब वादी की पुत्री को पता चली तो वह सदमा नही झेल सकी, दूसरे दिन जब वादी अपने खेत पर चला गया तो वादी की पुत्री ने जहर खा लिया। इस सूचना पर वादी अपनी पुत्री को इलाज हेतु गांव के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां हालत बिगड़ने पर दिनांक 20–02–2023 को डाक्टरो द्वारा वादी की पुत्री को ओ0पी0 चौधरी अस्पताल उतरेठिया रेफर कर दिया गया, जहां पर दिनांक 21–02–2023 को इलाज के दौरान वादी की पुत्री की मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना नगराम पर मु0अ0सं0 41/2023 धारा 306/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अमित बंसल द्वारा की जा रही है।**